न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मधेपुरा

A.B.P. No.-324/2026

Murliganj P.S Case No-111/2026

उपस्थित :– धीरेन्द्र कुमार राय
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

01. पुनीता देवी उम्र करीब 50 वर्ष पति–दीनबंधु सिंह

02 दीनबंधु सिंह उम्र करीब 50 वर्ष पिता–स्व0 श्याम सिंह

03. शुभम सिंह उम्र करीब 22 वर्ष पिता–दीनबंधु सिंह

साकिन–अमरपुरा, वार्ड नं0–2, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा।

.....आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार.....प्रतिपक्षी

आदेश दिनांक 02 जून, 2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्तगण पुनीता देवी पति दीनबंधु सिंह, दीनबंधु सिंह पे0 स्व0 श्याम सिंह एवं शुभम सिंह पिता–दीनबंधु सिंह के द्वारा मुरलीगंज थाना कांड संख्या–111/2026 अन्तर्गत धाराऐं–115(2), 126(2), 109, 352, 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को दी जा चुकी है।

जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश कुमार का यह कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं। आवेदक अभियुक्तगण का कोई अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया है और न ही लंबित है। आवेदक अभियुक्तगण झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा तथाकथित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, इस वाद में झूठा फंसा दिया गया है। प्राथमिकी में लगाया गया अभियोग आवेदक अभियुक्तगण पर नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति करते हुए कहते है कि

अभियुक्तगण के द्वारा कारित घटना गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अभियोजन का कथन संक्षेप में है कि सूचक राहुल कुमार साकिन अमरपुरा, वार्ड नं0–2,

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मधेपुरा

A.B.P. No.-324/2026

Murliganj P.S Case No-111/2026

आदेश दिनांक 02 जून, 2026

थाना मुरलीगंज, जिला मधेपुरा के स्थायी निवासी हैं। घटना के तीन–चार माह पूर्व पुनीता देवी सूचक की पत्नी जलपा देवी से महिला जीविका अंतर्गत समूह में जुड़ने हेतु एक हजार रूपया नगद ली थी। सूचक की पत्नी पुनीता देवी से पैसा मांगने जाती तो बारबार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। दिनांक 26.02.2026 समय करीब 10:30 बजे दिन में सूचक की पत्नी पुनीता देवी से पैसा मांगने गई तो पुनीता देवी एवं उनके पति दीनबंधु सिंह ने सूचक की पत्नी को गाली–गलौज करने लगे। गाली–गलौज करने से मना किये तो उपरोक्त दोनों व्यक्ति एवं सूचक का पुत्र शुभम सिंह मिलकर सूचक की पत्नी के साथ गाली–गलौज करते हुए लप्पड़–थप्पड़, लाठी–डंडा एवं लोहे के रड से मारपीट करने लगे। सूचक पत्नी को बचाने गया तो दीनबंधु सिंह एवं पुत्र शुभम सिंह ने लोहे के रड से सूचक के सिर पर मारा, जिससे सिर फट गया। सूचक की पत्नी को पुनीता देवी ने झोंटा पकड़कर जमीन पर घसीटने लगी। सूचक के जेब से दो हजार रूपया नगद ले लिया। उपरोक्त नामित अभियुक्तगण धमकी देते हुए बोले कि थाना में केस करोगे तो पति एवं पत्नी को किसी भी समय अनहोनी कर देगें।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक के द्वारा आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध धाराऐं– 115(2), 126(2), 109, 352, 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध गाली–गलौज एवं मारपीट करने का अभियोग लगाया गया है। वाद दैनिकी के पारा–2 में वादी का पुनः बयान अंकित है। वाद दैनिकी के पारा–5 में साक्षी शंकर सिंह, पारा–6 में साक्षी सौरभ सिंह एवं पारा–8 में साक्षी माधव प्रसाद सिंह का बयान अंकित है। वाद दैनिकी के पारा–15 में जख्मी राहुल कुमार का जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। चिकित्सक द्वारा जख्मी का जख्म Long incised wound of dimension 7-8 C.M. long and approx 1 C.M. deep on mid portion of head तथा साधारण प्रकृति का बताया गया है। वाद दैनिकी के पारा–18 में अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का उल्लेख किया गया है। यद्यपि आवेदक अभियुक्तगण संख्या–2 एवं 3 के विरूद्ध सूचक की पत्नी के साथ गाली–गलौज करते हुए लप्पड़–थप्पड़, लाठी–डंडा एवं लोहे के रड से मारपीट करने लगा। सूचक पत्नी को बचाने गये तो अभियुक्तगण संख्या–2 एवं 3 ने लोहे के रड से सूचक के सिर पर मारा, जिससे सिर फट गया और खुन बहने लगा।

अतः आवेदक अभियुक्तगण **दीनबंधु सिंह एवं शुभम सिंह** की ओर से बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत हेतु दाखिल आवेदन **खारिज** किया जाता है।

आवेदक अभियुक्त संख्या–1 पुनीता देवी हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्ता संख्या–1 पर सूचक की पत्नी को झोंटा पकड़कर जमीन पर घसीटने का

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, मधेपुरा

A.B.P. No.-324/2026

Murliganj P.S Case No-111/2026

आदेश दिनांक 02 जून, 2026

आरोप लगाया गया है। आवेदक अभियुक्ता महिला है और इनके विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक अभियुक्त पर कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त सं0–1 को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्ता **पुनीता देवी** को गिरफ्तार/आत्म–समर्पण करने पर मो0 10,000/–रुपये के बंध–पत्र के दो समान राशि के प्रतिभू के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर एवं अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि होने पर, जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदक अभियुक्ता इस आदेश के अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्ति के **15 दिनों** के अन्दर न्यायालय में समर्पण करें तथा संबंधित न्यायालय धारा 482 बी.एन.एस.एस. के शर्तों के आलोक में इसे जमानत पर छोड़ने का आदेश करें।

लेखापित

ह0/–

(धीरेन्द्र कुमार राय)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय,
मधेपुरा।